

- स्मूथ एटा अतिथिगत की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्मूथ के प्रकार एवं संयोजन बनाए रखे जाएंगे। अतिथि विनिर्देशन के समय स्मूथ में उपरोक्त सुविधाएं विन्यस्तमुक्त पाई गयीं:-

सुविधाएँ		घंटों में टूटें		व्यय/विक्रम
8	स्मूथ के अटा की मात्रा	घंटों का अटा		घंटों का अटा
9	स्मूथ का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	362740		36274
10	स्मूथ का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	39180		36780
11	घरों की संख्या का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	132000		13200

अवशोषण का विवरण							
क्र.	वस्तु	Roznam as per RTI		घंटों में टूटें		व्यय/विक्रम	
		संख्या	औसत अंकुर (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत अंकुर (वर्ग फीट में)	संख्या	औसत अंकुर (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आरटी तक उपरोक्त में आ रहे कक्षा कक्षा	8	614	8	614		
2	कार्यालय कक्षा-सह-अध्ययन कक्षा-सह-परिचालन/अन्य कक्षा	9	510	9	510		
3	संयोजन/सह-अध्ययन	6	1370	3	1370		

अन्य सुविधाएँ		घंटों में टूटें		व्यय/विक्रम
1	क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बनाए रखा है - हां/नहीं	हाँ		हाँ
2	घरों का पता सफाई (हस्तसहित सूची उपलब्ध करी)	हाँ		हाँ
3	सौकर्य एवं जल उपकरण (हस्तसहित सूची उपलब्ध करी)	हाँ		हाँ
4	पुरुषों की संख्या		4000	400
5	महिलाओं/बच्चों का पता		20	20
6	पैदावार सुविधा का प्रकार		Tube Well	Tube Well
7	पैदावार सुविधा की संख्या		15	15
8	सौकर्य का प्रकार (सहायता/परिचालन)		Indian	Indian
9	सड़कों के लिए वृक्ष बोध/सड़कों की संख्या		6	6
10	सड़कों के लिए वृक्ष बोध/सड़कों की संख्या		6	6
11	विकास/सड़कों के लिए उपयुक्त बोध/सड़कों की संख्या		1	1
12	क्या अतिथि सुविधा प्रदान की उपलब्ध है - हां/नहीं	हाँ		हाँ

- शेष अपेक्षित किए जाएंगे तथा चार्टर एकाउन्टेंट एटा संयोजित होने और अतिथि सेवा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक संयोजन के विवरणों की एक प्रति प्रतिबंधित विभाग शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- अल्पकालीन स्मूथ का आयोजन कोड संख्या- 17/04/16. एवं आईसीसी (200) 24/7050/205 है। इस कार्यक्रम के साथ परचम में यह सेवा संयोजन संचालित किए जाएंगे।
- सभी विचारों और जानकारी स्मूथ एटा बनाने की जाएगी, जो राज्य शिक्षा मंत्रालय/विभाग शिक्षा अधिकारी एटा समक-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्मूथ राज्य सरकार/राज्यीय परिषदों के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्मूथ के संघर्ष की क्षमता को ध्यान में रख कराने के लिए अलग संयोजन की शर्तों की विचारण पूर्ण सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएंगे।
- सोसायटी/संघ, यदि कोई हो, के पंजीकरण का अधिकार किया जाएगा।
- अन्य सभी संयोजन उपरोक्त 'नियम' के अनुसार होंगे।
- अतिथिगत एवं नियम के उपरोक्त और संयोजन की शर्तों का अनुपालन प्राप्त करने तथा बिंदु हो जाने पर संयोजन समाप्त हो जाएगी।

सदस्य,
 शिक्षा विभाग अधिकारी
 विभाग SIRDH मन्दायूर